

5- वादी संख्या 4 बंशीराम के हक बंट में मौजा पन्नापूरा के खेत खसरा नम्बर 130 रकबा 39 बीघा 05 बिस्वा में से 05 बीघा पश्चिमी भाग व मौजा दोतिणा के खसरा नं. 80 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा में से 09 बीघा 13 बिस्वा नजरी नक्शा के अनुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

आज की तारी लीज x मुबलिक x बाबत् x खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक x को अदा करें।
बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.05.18 को जारी किया गया।



(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधीक्षक न्यायालय
जायल, जिला नागौर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सम्बुत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्जर बबत इजराय हुकमीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमी"नर बाबत् इजराय हुकमीजान मुतफर्रिक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।



(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधीक्षक न्यायालय
जायल, जिला नागौर

कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर।

क्रमांक / रीडर / 2018 /

दिनांक

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि डिकी पर्चा के अनुशार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।



उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल, जिला नागौर